

प्रेषक,

संख्या:- 313/1-11-2015-राजस्व-11

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास, नगर विकास एवं लोक निर्माण विभाग।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक :: 02 जून, 2015

विषय: भूकम्प के दृष्टिकोण से भवनों को भूकम्परोधी तकनीक से बनाये जाने तथा कमजोर/संवेदनशील भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे/रेट्रोफिटिंग किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भूकम्प एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके संबंध में अभी तक कोई पूर्वानुमान किया जाना सम्भव नहीं है। प्रदेश का एक बड़ा भू-भाग भूकम्प के प्रति अति-संवेदनशील श्रेणी में आता है। यह भू-भूभाग अत्यधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण यहां भूकम्प आने की रिथ्टिंग में प्रदेश के लिये गम्भीर रिथ्टिंग उत्पन्न हो सकती है। भूकम्प के आने पर सर्वाधिक जन-धन हानि भवनों, इमारतों, मकानों आदि के गिरने/ढहने से होती है।

2- इस संबंध में उल्लेख करना है कि प्रदेश के 31 जनपद सिरिमिक जोन-IV में आते हैं जो भूकम्प के दृष्टिकोण से High Risk Zone में हैं। जनपद बागपत, बिजनौर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, अमरोहा, कुशीनगर, महाराजगंज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर तथा सिद्धार्थनगर का सम्पूर्ण भू-भाग सिरिमिक जोन-IV में पड़ता है। इसी प्रकार जनपद अलीगढ़, बहराइच, बलिया, संतकबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बरेली, बरती, बदायू, बुलंदशहर, देवरिया, गोण्डा, गोरखपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर तथा सीतापुर के अधिकांश भू-भाग सिरिमिक जोन-IV के अन्तर्गत आते हैं।

3- पड़ोसी देश नेपाल में गत दिनों आये 7.9 रिक्टर स्केल के भूकम्प एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में महसूस किये गये इसके झटकों ने भवनों एवं अधि-संरचनाओं के भूकम्परोधी व मजबूत होने की आवश्यकता को अधिक प्रासंगिक बना दिया है। भूकम्प की उक्त घटना से प्रदेश में 19 व्यक्तियों की मृत्यु 123 घायल व व्यापक रूप से संरचनाओं की क्षति हुई है।

4- इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.04.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भवन सुरक्षा हेतु सभी अधि-संरचनाओं विशेषतः लाइफलाइन बिल्डिंग्स कहे जाने वाले भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे एवं रेट्रोफिटिंग किये जाने का सुझाव दिया गया है। इस हेतु यदि किसी प्रकार के तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचित किये जाने का भी अनुरोध किया गया है।

5- भूकम्प के प्रति प्रदेश की उक्त वल्नेरेबिलिटी के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी नये बनाये जाने वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाया जाए तथा पूर्व निर्मित अधि-संरचनाओं/भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे कराकर भूकम्परोधी उपाय यथा-रेट्रोफिटिंग आदि सुनिश्चित किया जाय। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक है जिनके द्वारा भवन उपविधि संहिता (बिल्डिंग बाइलॉज कोड) में भवनों आदि के निर्माण में भूकम्परोधी तत्वों को सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधन किया जा चुका है।

6- अतः अनुरोध है कि भूकम्प से भवन सुरक्षा हेतु त्वरित व प्रभावी उपाय किया जाय। समस्त बनाये जाने वाले नये भवनों का निर्माण भूकम्परोधी तकनीक से किये जाने तथा पूर्व निर्मित भवनों-मुख्यतः लाइफलाइन बिल्डिंग्स कहे जाने वाले भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे कराकर उनमें रेट्रोफिटिंग कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7- शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार की गयी कार्यवाही से राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आवास आयुक्त, उ0प्र0
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
- 2- उपाध्यक्ष, समस्त विभाग प्राधिकरण, उ0प्र0।
- 3- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

भवदीय,
मृग रंग
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

आलोक से,
लीला जौहरी
(लीला जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त



Smt. Neelkamal Darbari, IAS
Joint Secretary & Advisor



सत्यमेव जयते

No. 2445/MS/SG/2015

National Disaster Management Authority

Government of India

NDMA Bhawan

A-1, Safdarjung Enclave

New Delhi-110 029

Tel. : +91 11 26701817/26701867 Fax : +91 11 26701717

E-mail : neelkamal.d@nic.in; jsadm@ndma.gov.in

D.O.No. 5/1/2015-RR

29th April, 2015

Dear Leena,

ARC (AKS)

The recent earthquake measuring 7.9 on the Richter Scale has again highlighted the vulnerability of buildings and structures in our country to earthquakes. Your state has also suffered in terms of loss of lives & assets, particularly due to collapsing structures. Therefore, there is a need to assess the vulnerability of the existing buildings and structures against Earthquake and to take requisite corrective measures to make these buildings earthquake resilient.

30/4/15

National Disaster Management Authority (NDMA), suggests that Rapid Visual Survey (RVS) of all vulnerable buildings and structures in general and critical/Lifeline buildings and infrastructures in particular may be got carried out. If the State Government needs any technical assistance on these aspects, then, NDMA may be informed so that we can arrange for assistance in carrying out RVS and Retrofitting measures.

R.D.
With regards.

1/5

Leena (2/5) Recd/15

SDM

7-5-15

Mr. Leena Nandan, IAS
Resident Commissioner
Uttar Pradesh
NBCC Palace, Upper Ground
Bishma Pitamah Marg
Opposite Sai Mandir, Lodhi Road
New Delhi-110003

FAX

प्रधारण संस्थान अधिकारी

भुवन सचिव, ३० प्र० शासन मंशुलय

महाराष्ट्र, एवं उत्तर प्रदेश संशालन नगर

उत्तर प्रदेश के लिए भुवन

21/4/15 375 320

01/5/15

(अशोक कुमार श्रीवारस्तव)
अपर स्थानिक आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन
नई दिल्ली